

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 27]

दिल्ली, जुलाई 15—जुलाई 21, 2011, बृहस्पतिवार/आषाढ़ 24—आषाढ़ 30, 1933

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 91, 94

No. 27]

DELHI, JULY 15—JULY 21, 2011, THURSDAY/ASADHA 24—ASADHA 30, 1933

| N.C.T.D. No. 91, 94

भाग—IV

PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
 Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
 Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

(राजपत्रित अधिकारी प्रभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 24 जून, 2011

DIRECTORATE OF EDUCATION

(Gazetted Officer's Cell)

NOTIFICATION

Delhi, the 24th June, 2011

सं. फा. 26(31)/शिक्षा/जी.ओ.सी./11214-11225.—दिल्ली विद्यालय अधिनियम, 1973 (1973 का 18) की धारा 11 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, श्री एन. पी. कौशिक, अधिकारी दिल्ली उच्च न्यायिक सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कार्यकाल को अतिरिक्त एक वर्ष के लिए दिनांक 01-06-2011 से 31-05-2012 तक दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी प्रतिनियुक्त करते हैं।

उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
के आदेश तथा उनके नाम पर,

सुरेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव

F. No. 26(31)/GOC/EDN/2010/11214-11225.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to extend the period of deputation of Shri N.P. Kaushik, an officer of the Delhi Higher Judicial Service, as Presiding Officer of the Delhi School Tribunal, for another one year w.e.f. 01-06-2011 to 31-05-2012.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

SURESH GUPTA, Addl. Secy.

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 19 जुलाई, 2011

सं. फा.10 (1980)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./14625.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एफेसेक इण्डिया प्रा. लि., एलजीएफ, 18, कोटला लेन, राऊज एवेन्यु, नई दिल्ली-110002 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 3,00,82,780 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 3008278 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 30,083 (रुपये तीस हजार तीरासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 19th July, 2011

F.No. 10(1980)/COS(HQ)/Cons.Duty/14625.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Efacec India Pvt. Ltd., LGF, 18, Kotla Lane, Rouse Avenue, New Delhi-110002, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 30,083 (Rs. thirty thousand eighty three) only on the aggregate value of shares of ₹ 3,00,82,780 for issue of equity shares bearing distinctive No. 01 to 3008278 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1987)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./14628.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री टेकवाह लॉजिस्टिक्स (इण्डिया) प्रा. लि., 206बी, एप्रा प्लाजा, डीडीए कर्मशाला सेन्टर, रोड नं. 44, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 4,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 99999 से 299998 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 40,000 (रुपये चालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F.No. 10(1987)/COS(HQ)/Cons.Duty/14628.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry

of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Techwah Logistics (India) Pvt. Ltd., 206B, Apra Plaza, DDA Com. Centre, Road No. 44, Pitampura, New Delhi-110034, shall pay a consolidated stamp duty of ₹. 40,000 (Rs. Forty thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 4,00,00,000 for Equity Shares certificate with distinctive Nos. 99999 to 299998 to be issued by the said company.

दिल्ली, 20 जुलाई, 2011

सं. फा.10 (1984)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./14637.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री फ्रेन्च बेकरी प्रा. लि., के-39, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 45,37,530 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 996940 से 1097773 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 4,538 (रुपये चार हजार पाँच सौ अड़तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 20th July, 2011

F.No. 10(1984)/COS(HQ)/Cons.Duty/14637.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. French Bakery Pvt. Ltd., K-39, Connaught Place, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of ₹. 4,538 (Rs. four thousand five hundred thirty eight) only on the aggregate value of shares of ₹ 45,37,530 for issue of equity shares bearing distinctive No. 996940 to 1097773 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1961)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./14638.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मिन्वा फ्लेवर्स एण्ड फ्रेगरेन्स प्रा. लि., 1101, इन्द्रप्रकाश, 21, बाराखम्मा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,30,55,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 8307701 से 9613201 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 13,055 (रुपये तेरह हजार पचपन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1961)/COS(HQ)/Cons.Duty/14638.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Minerva Flavours and Fragrance Pvt. Ltd., 1101, Indraprakash, 21, Barakhamba Road, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 13,055 (Rs. thirteen thousand fifty five) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,30,55,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 8307701 to 9613201 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1989)/मु.स. (मुख्या.)/स.श./14659.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मूलचन्द हेल्थकेयर प्रा. लि., 117, अंसल चेम्बर II, 6, भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 60,99,99,932 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10000001 से 23204272 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 6,10,000 (रुपये छः लाख दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1989)/COS(HQ)/Cons.Duty/14659.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Moolchand Healthcare Pvt. Ltd., 117, Ansal Chamber II, 6, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 6,10,000 (Rs. six lakh ten thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 60,99,99,932 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 10000001 to 23204272 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1985)/मु.स. (मुख्या.)/स.श./14661.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री दारमेक्स होटल्स एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि., 15, रिंग रोड, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 5,35,18,780 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 855892 से 903421 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 53,519 (रुपये तिरपन हजार पांच सौ उन्नीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1985)/COS(HQ)/Cons.Duty/14661.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Darrameks Hotels & Developers Pvt. Ltd., 15, Ring Road, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 53,519 (Rs. Fifty three thousand five hundred nineteen) only on the aggregate value of shares of ₹ 5,35,18,780 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 855892 to 903421 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1986)/मु.स. (मुख्या.)/स.श./14662.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि., ऊर्जानिधी, 1, बाराखम्भा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 16,93,20,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, नन कमयूलेटिव, टेक्सेबल बॉण्ड्स जो कि डिबेन्चर के रूप में हैं जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00016932, सीरीज 74 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1986)/COS(HQ)/Cons.Duty/14662.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Ltd., Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 25,00,000 (Rs. twenty five lakh) only on the aggregate value of debentures of ₹ 16,93,20,00,000 for issue of Unsecured, Redeemable, Non-Convertible, Non-cumulative, Taxable bonds in the nature of Debentures Series 74 bearing distinctive Nos. 00000001 to 00016932 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1982)/मु.स. (मुख्या.)/स.श./14663.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री शोमर्षल इण्डिया प्रा. लि., 205, 18/12, डब्ल्यू.ई.ए., जैन भवन, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, द्वारा जारी किए जाने वाले

₹ 91,84,500 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 11243731 से 12162180 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 9,185 (रुपये नौ हजार एक सौ पिच्चासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1982)/COS(HQ)/Cons.Duty/14663.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Schmersal India Pvt. Ltd., 205, 18/12, W.E.A., Jain Bhawan, Karol Bagh, New Delhi-110005, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 9,185 (Rs. nine thousand one hundred eighty five) only on the aggregate value of shares of ₹ 91,84,500 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 11243731 to 12162180 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1978)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./14664.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्र. का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, बैंक हाऊस, प्रथम तल, 21, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 3,00,00,00,000 मूल्य के बोनड्स जो कि अनसेक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 1 से 3000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 30,00,000 (रुपये तीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1978)/COS(HQ)/Cons.Duty/14664.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Punjab & Sind Bank, H. O. Accounts & Audit Dept.,

First Floor, Bank House, 21, Rajendra Place, New Delhi-110008, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 30,00,000 (Rs. thirty lakh) only on the aggregate value of bonds of ₹ 3,00,00,00,000 for issue of bonds in the nature of unsecured promissory notes bearing distinctive No. 1 to 3,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1962)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./14665.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एसपीई फिल्मस इण्डिया प्रा. लि., 1215, नौरंग हाऊस, 21, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 27,71,060 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 71594302 से 71871407 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2,772 (रुपये दो हजार सात सौ बहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

F. No. 10(1962)/COS(HQ)/Cons.Duty/14665.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. SPE Films India Pvt. Ltd., 1215, Naurang House, 21, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 2,772 (Rs. two thousand seven hundred seventy two) only on the aggregate value of shares of ₹ 27,71,060 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 71594302 to 71871407 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi,
R. K. MISRA, Special Inspector General (Registration)